न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **चन्दर बनाम बुद्धा वगैराह** **किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण** **प्रकरण सं. – 42/2018**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.07.2018	अधिवक्ता फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से मोहम्मद आरीफ एडवोकेट द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय की टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा बहस हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की एक दावा बाबत दुरस्ती तरमीम एंव स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी चन्दर बनाम बुद्धा वगैरा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में पेश कर रखा है। अप्रार्थी सं. 01 लगा0 03 उपखण्ड अधिकारी सिकराय से मिलकर अपने पक्ष में फैसला करवाने पर आमादा है। पीठासीन अधिकारी सभी प्रकरणों में कम से कम दो तीन महीने की पेशीया देते हैं परन्तु इस प्रकरण में नजदीक–नजदीक तारीख पेशीयां दी जा रही हैं। जो यह निश्चित करता हैं कि अप्रार्थी सं. 01 लगा0 03 पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय से मिलकर शीघ्र ही अपने पक्ष मे फैसला करवायेंगे। प्रार्थी को उक्त वाद में न्याय मिलने की उम्मीद नही है। इसलिए उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे। जवाब बहस में अधिक्ता अप्रार्थी सं. 01 लगा0 03 द्वारा निवेदन किया गया की अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण वर्ष 2009 से विचाराधीन है जिसमें बार–बार स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किये गये है। प्रार्थी द्वारा मात्र प्रकरण में देरी करने एवं प्रार्थीगण को हैरान–परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। दावा दुरस्ती तरमीम का है जिसमे रिकार्ड के आधार पर कार्यवाही की जानी है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त टिप्पणी का भी अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मात्र प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने हेतु विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने हेतु कोई औचित्यपूर्ण तथ्य नहीं पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्थानांतरण स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रकरण बाबत दुरूस्ती तरमीम एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी चन्दर बनाम बुद्धा वगैरा मु.नं. 122/2009 को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 18.7.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति0 जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official